MOST-URGENT

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक 27 (43)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/विविध/2016–17 जयपुर, दि. 17नवम्बर, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त, (राजस्थान)।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 हेतु लाभार्थियों की वरीयता सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन कराने बाबत।

प्रसंग:– ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, के पत्रांक के 11028/04/2016–RH दिनांक 15 नवम्बर, 2016।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण का राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2016 को विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 06.04.2016 व 13.04.2016 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत आवासहीन, शून्य कमरा, एक कमरा कच्चा आवासों वाले परिवारों की वरीयता सूची का ग्राम सभा में अनुमोदन कराने के निर्देश जारी किये गये थे, जिसकी पालना में वरीयता सुची ग्राम सभा में अनुमोदित करवाकर, जिला स्तर पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण उपरान्त अंतिम रूप दिया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के द्वारा आयोजित वीडियों कान्फ्रेसिंग दिनांक 07.11.2016 में निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की वरीयता सूची का निर्धारण एक बार में ही वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 हेतु किया जावेगा। जिलों से सेक डाटा के क्रम में प्राप्त विसंगतियों को दूर करने हेतु दिनांक 10–11 नवम्बर, 2016 को सभी जिलों के उक्त कार्य को देख रहे कार्मिकों का प्रशिक्षण भी जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें सेक–2011 डाटा का आवास सॉफट में मेपिंग का कार्य करवाया गया।

उक्त निर्देशों के मध्यनजर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों की ग्राम पंचायतवार पात्रता सूची का अनुमोदन, पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 ( ) पंरावि/विधि/विशेष ग्रामसभा/2016/831 दिनांक 08.11.2016 के द्वारा दिनांक 28.11. 2016 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में करवाया जावें। इसके पश्चात आमजन से आपत्तियां आमंत्रित कर पूर्व में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला अपीलेट कमेटी द्वारा दिनांक 10.12.2016 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर, दिनांक 16.12.2016 को जिला स्तर से अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया जावे।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (RH), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग सचिवालय, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक एवं उपसचिव (मो.एवं मू), ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

AEN PC/ D:\Letter\Aen\Aen.docx 536